"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2007—माघ 27, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक 115/54/2007/1-8/स्था.—श्री ए. के. भट्ट (भावसे), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 19-1-2007 से 3-2-2007 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4-2-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. भट्ट को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

क्रमांक 119/51/2007/1-8/स्था.—श्री के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अवकाश	अवधि	दिवस
लघुकृत अवकाश	26-12-2006 से 30-12-2006	05
अर्जित अवकाश	31-12-2006 से 6-1-2007	07

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. सरोज को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. सरोज अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

क्रमांक 121/40/2007/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. राय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1-2-2007 से 24-2-2007 तक 24 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री व्ही. के. राय के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. के. बाजपेई, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री राय को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक एफ. 4-7/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर, 2006 (02 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

क्रमांक 1411/250/XXI-B/C. G./07.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को संबंधित जिलों के लिए उनके मूल अधिकारिता सहित निम्नलिखित अधिनियमों के तहत किए गए अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :-

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
2. विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992
3. कंपनीज अधिनियम, 1956
4. धन कर अधिनियम 1957
5. दान कर अधिनियम 1958
6. आयकर अधिनियम, 1961
7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
8. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963
9. कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964
10. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 एवं
11. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973.

Raipur, the 7th February 2007

No. 1411/250/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in consultation with the High Court, the State Government hereby establishes the Courts of Chief Judicial Magistrate for their respective Districts alongwith their original jurisdiction as Special Court for trial of offences punishable under the following Acts :-

1. The Central Excise Act, 1944
2. The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992
3. The Companies Act, 1956
4. The Wealth Tax Act, 1957
5. The Gift Tax Act, 1961
6. The Income Tax Act, 1961
7. The Customs Act, 1962
8. The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963
9. The Companies (Profits) Surtax Act, 1964
10. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1968, and
11. The Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2007

क्रमांक 1404/डी-419/21-ब/छ. ग./2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, जिला न्यायालय की स्थापना में शीघ्रलेखक, स्टेनो-टाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-तीन भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,

नियम-3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये,-

"4. व्यावृत्ति :- यदि पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो उच्च न्यायालय किसी अर्हता को शिथिल कर सकेगी".

Raipur, the 6th February 2007

No. 1404/D-419/XXI-B/C. G./2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in District Court Establishment Recruitment of Stenographer, Steno-typist and Assistant Grade-III Rules, 2005 namely :—

AMENDMENT

In the said rules,

After Rule-3, the following rule shall be added,—

"4. Saving :- High Court may relax any qualification if sufficient number of eligible candidates are not available".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक 1190/127/21-ब/छ. ग./2007.—राज्य शासन, एतद्द्वारा रायगढ़ जिले में नियुक्त नोटरी श्री रविशंकर गुप्ता की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (अ) के अंतर्गत उनका नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2007

क्रमांक 1278/230/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राम रेखा साहू, अधिवक्ता, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) को दिनांक 01-08-2006 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2007

क्रमांक 1282/230/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुशील कुमार साहू, अधिवक्ता, कोरिया, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2007

क्रमांक 1286/227/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अरूण कुमार केशरवानी, अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के कैम्प कोर्ट, सारंगढ़ के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक 1343/229/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, भाटापारा, जिला-रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भाटापारा, जिला-रायपुर के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक 1347/439/21-ब/छ. ग./2007/एक्ट्रोसिटी.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिए अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री उमेश शुक्ला, अधिवक्ता, दुर्ग को एक्ट्रोसिटी न्यायालय, दुर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति पुन: 01-08-06 से तीन वर्ष के लिए होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि का भुगतान विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1/सी/एक्ट्रोसिटी/21-ब/दो दिनांक 25-06-1999 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण-01-अनुसूचित जाति अन्य व्यय-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना-5171 विशेष न्यायालयों की स्थापना 23-अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक 1349/232/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रं. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बालमुकुन्द अग्रवाल, अधिवक्ता, जिला-दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 1-21/दो (तीन-जेल) 05.—छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 के नियम-3 के उप नियम (2) [प्रिजन एक्ट 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 की उपधारा (8) के अंतर्गत सशक्त] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जेल दुर्ग को तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय जेल घोषित करती है.

Raipur, the 27th January 2007

No. F-1-21/Two (Three-Jail) 05.—In exercise of the powers conferred by sub rule (2) of Rule-3 of Chhattisgarh Prison Rules, 1968 [Empowered to make Rule under sub-section (8) of section 59 of Prison Act. 1894 (No. 9 of 1894)] the State Government hereby declares District Jail, Durg as Central Jail, Durg, with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2007

क्रमांक 151/2042/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 2295/2042/32/2006 दिनांक 17-11-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर खास	577 का भाग, प्लाट क्र. 1/1 ब्लाक नं.-09	0.120 हे.	मार्ग	विशेषीकृत वाणिज्यिक

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 9-20/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए डोंगरगांव निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं.

अनुसूची

डोंगरगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जामसरार, बरगांव, साल्हे, बगदई, आरी एवं भेंवरगुड़ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम भेंवरगुड़, बगमार, खुज्जी, करेथी एवं बधहम ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बधहम, दर्री, बेदरकट्टा, कोहंका एवं मोहड़ ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम मोहड़, मायलडबरी, रेंगाकठेरा एवं जामसरार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 9-65/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" (1) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-65/32/06, दिनांक 10-11-2006 द्वारा भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना दुर्ग-भिलाई (भाग-2) दुर्ग के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	534/46	0.300 हे.	जलाशय	आवासीय
		534/57	0.300 हे.		
		534/65	0.300 हे.		
		534/44	0.300 हे.		
		534/47	0.300 हे.		
		534/51	0.300 हे.		
		534/45	0.300 हे.		
		534/55	0.300 हे.		
		534/66	0.300 हे.		
		534/53	0.300 हे.		
		534/56	0.300 हे.		
		534/32	0.046 हे.		
		534/38	0.007 हे.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		534/49	0.300 हे.		
		534/50	0.300 हे.		
		534/58	0.300 हे.		
		534/48	0.300 हे.		
		534/54	0.300 हे.		
		534/31	0.007 हे.		
		534/33	0.009 हे.		
		534/35	0.028 हे.		
		534/40	0.023 हे.		
		कुल	**4.92 हेक्टर**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग (भाग-1) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक 941/3243/06/19/तक.—टोलटैक्स 1851 (क्र. 8 सन् 1851) जो कि छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, की धारा 2 में सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसे 4 पुलों को, जो संलग्न परिशिष्ट "क" में सूची बद्ध है, पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2233/2292/06/19 तक., दिनांक 27 मार्च, 2006 में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है.

और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग के अधिसूचना क्र. एफ 31-19/84/जी-19/720, दिनांक 12-06-85 की तृतीय अनुसूची (प्रपत्र-3) एवं अधिसूचना क्र. एफ 23-2/94/जी-19, दि. 09-05-94 में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

परिशिष्ट - क

स. क्र.	पुल का नाम एवं मार्ग का नाम	लागत (रु. लाख में)	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रतनपुर मंझावानी मार्ग, केंदा केंचवी मार्ग के कि. मी. 39/10 पर जावस नदी पुल.	77.78	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	रतनपुर केंवची मार्ग के कि. मी. 63/2 पर अरपा नदी पुल	82.87	
3.	रानीझाप बंझोरका मार्ग के कि. मी. 2/2 पर मलेनिया नदी पर पुल	48.50	
4.	सिवनी मरवाही मार्ग के कि. मी. 3/10 पर सोननदी पर पुल	160.00	

Raipur, the 5th February 2007

No. 941/3243/06/19/Tech.—In exercise of the powers conferred by section 2 read with Section 4 of the Tolls Act, (VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government hereby levies Toll-Taxes on four bridges enlisted in Appendix- A at the rates specified in the second schedule appended to this department Notification No. F-2233/2292/06/19/Tech, dated 27-03-2006.

And declares that the vehicles, specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19, dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls.

This order will be enforced with effect from the date of its publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Under Secretary.

APPENDIX—A

S. No. (1)	Name of bridge and road (2)	Cost in lakhs (3)	Remarks (4)
1.	Javas bridge In Km 39/10 Ratanpur Manjhwany Kendha Kevnchi road.	77.78	
2.	Arpa bridge In Km 63/2 Ratanpur Kevnchi road.	82.87	
3.	Maleniya bridge In Km 2/2 Rani jhap Banjhorka road.	48.50	
4.	Son bridge In Km 3/10 Sivni Mervahi road.	160.00	

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ-17-50/2006/25-2/आजाक रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2007.

अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 2006

भाग-एक

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार नियम बनाते हैं :-

1. **शीर्ष एवं विस्तार :—**

(1) ये नियम "अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006" कहलायेंगे तथा राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

(2) ये नियम उन समस्त अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता दिये जाने हेतु लागू होंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परंपरागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों में रत हों.

2. **व्याख्याएं :—**

इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो.

(1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

(2) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग.

(3) "विभाग" से अभिप्रेत है आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग.

(4) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है यथा संदर्भ, कलेक्टर, आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास.

(5) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर.

(6) "जिला अधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास.

(7) "संस्था" से अभिप्रेत है राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों में रत अशासकीय संस्था, जो तत्समय प्रवृत्त विधि या विधियों के अधीन पंजीकृत हो एवं जिसका पंजीयन जीवित हो तथा जिसने इस नियम के तहत अनुदान सहायता हेतु आवेदन किया है अथवा/एवं इस नियम के लागू होने के पूर्व से विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त कर रही हो.

(8) "अनुदान सहायता" से अभिप्रेत है शासन द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु संस्था को दी जाने वाली आर्थिक सहायता.

(9) "इकरारनामा" से अभिप्रेत है इस नियम के परिशिष्ट "ब" में विहित बंधन पत्र.

(10) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है इस नियम के तहत अनुदान सहायता प्राप्त संस्था में कार्यरत ऐसा कर्मचारी, जिसे प्रदत्त अनुदान से वेतन अथवा मानदेय प्राप्त होता है.

(11) "अनुरक्षण व्यय" से अभिप्रेत है संस्था के संचालन एवं व्यवस्था के लिए दी जाने वाली आवर्तक आर्थिक सहायता.

भाग-दो

3. **अनुदान स्वीकृति की प्रारंभिक शर्तें :—**

(1) अधिकार के रूप में अनुदान सहायता हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा.

(2) अनुदान सहायता इन नियमों एवं इस प्रसंग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी.

(3) अनुदान सहायता हेतु केवल ऐसी संस्था आवेदन हेतु पात्र होगी-

(I) जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं/अथवा शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों में रत हों.

(II) जो तत्समय प्रवृत्त विधि या विधियों के अधीन आवेदन तिथि से 5 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा आवेदन तिथि को जिसका पंजीयन जीवित हो.

(III) संस्था, जिस वर्ग (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) के लिये कार्य करना चाहती है तो उस वर्ग का न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य संस्था के प्रबंध कारिणी में होना चाहिये तथा उनमें से न्यूनतम 3 सदस्य संस्था के पदाधिकारी भी होना आवश्यक होगा.

(IV) शैक्षणिक उत्थान की गतिविधि संचालित करने वाली वह संस्था-

(अ) जिसके द्वारा संचालित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त हों.

(ब) जिसके द्वारा संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कुल दर्ज संख्या के 60 प्रतिशत होना चाहिए परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में 60 से अन्यून होनी चाहिए.

(स) जिसके द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कुल दर्ज संख्या का 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थी होना चाहिए परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में 50 से अन्यून होनी चाहिए.

(द) छात्रावास एवं आश्रम में कुल दर्ज विद्यार्थियों का 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं/अथवा अनुसूचित जाति का हो.

(इ) जो धर्म निरपेक्ष तथा स्तरीय शिक्षा प्रदान करती है.

(V) जो आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को स्वयं के व्यय से पिछले तीन वर्षों से सफलता पूर्वक संचालित कर रही हो परंतु पूर्व से अनुदान सहायता प्राप्त संस्था को प्रवृत्ति के विस्तार एवं/अथवा नवीन प्रवृत्तियां हेतु शासन को यह संतोष होने पर कि संस्था द्वारा पूर्व प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है और उसी भांति विस्तारित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को एवं/अथवा नई प्रवृत्ति संचालित करने हेतु संस्था सक्षम है, इस नियम कंडिका के उपबंध किये जा सकेंगे.

(4) कर्मचारियों के वेतन, महंगाई-भत्ता एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति के लिए शत-प्रतिशत अनुदान सहायता दी जायेगी. शेष समस्त आवेदित प्रवृत्तियों हेतु प्रदत्त अनुदान सहायता के अतिरिक्त लगने वाली राशि को संस्था स्वयं अपने स्रोतों से पूरा करेगी.

संस्था को दी जाने वाली अनुदान सहायता उसको स्वीकृत सभी प्रवृत्तियों एवं मद में (कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ता एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति को छोड़कर) होने वाले वास्तविक व्यय की 90 प्रतिशत राशि से अनाधिक होगी.

(5) जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अंदर (अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में) अनुदान सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था से प्राप्त कर कलेक्टर के माध्यम से शासन एवं आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रेषित किया जाएगा.

(6) शैक्षणिक प्रवृत्तियों के लिए स्टाफ पैटर्न राज्य शासन के स्वीकृत सेटअप के अनुसार, तथा गैर शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित प्रवृत्तियों के लिए संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत सेटअप मान्य होगा. जिन प्रवृत्तियों के लिए सेटअप शासकीय विभागों से स्वीकृत नहीं है उनके लिए सेटअप की स्वीकृति शासन में निहित रहेगी.

(7) गैर शैक्षणिक प्रवृत्तियों के लिए समस्त प्रसंगों में मापदण्ड संबंधित प्रशासकीय विभाग अथवा/एवं छत्तीसगढ़ शासन के अन्य प्रशासकीय विभाग तत्समय प्रवृत्त मापदण्ड के अनुसार होंगे.

(8) कोई संस्था उसी उद्देश्य/गतिविधि/प्रवृत्ति हेतु, जिसके लिए, विभाग द्वारा अनुदान सहायता प्रदत्त की गई है, छत्तीसगढ़ शासन के अन्य किसी विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगी.

(9) शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था को इन नियमों में प्रवर्तन से छूट दे सकेगा और उन्हें तदर्थ या किसी भी अन्य विशेष आधार पर अनुदान सहायता दे सकेगा, जिसके लिए अलग से शर्तें प्रभावशील की जा सकेगी.

भाग-तीन

4. **अनुदान के प्रकार :—**

(1) **आवर्ती अनुदान सहायता :-** आवर्ती अनुदान सहायता निम्नांकित प्रकार के कार्यों हेतु होने वाले व्यय के लिए स्वीकृत की जावेगी.

(अ) **अनुरक्षण व्यय :-**
इसके अन्तर्गत (i) स्थापना वेतन (ii) महंगाई भत्ता (iii) अतिरिक्त महंगाई भत्ता (iv) भवन किराया (v) प्रकाश एवं जल व्यवस्था (vi) फार्मों की छपाई, समाचार पत्र पत्रिकाएं (vii) फर्नीचर दुरुस्ती (viii) कर्मचारियों के प्रवास पर होने वाला व्यय (ix) संस्था के निजी भवनों की वार्षिक मरम्मत (शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दर पर) (x) अंकेक्षण शुल्क (xi) छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति एवं (xii) आवश्यक व्यवस्था बनाने हेतु लगने वाला अन्य व्यय.

(ब) **व्यवस्था व्यय :-**
इसके अन्तर्गत (i) छात्रावासी छात्रों के लिये बिस्तर सामग्री, स्वेटर एवं गणवेश पर किया जाने वाला व्यय (ii) शासकीय एवं निजी चिकित्सक से बच्चों के बीमारी के ईलाज पर किया गया व्यय (iii) साफ-सफाई से संबंधित व्यय (iv) खेल सामग्री एवं खेल मैदान विकसित करने पर होने वाला व्यय.

(2) **अनावर्ती अनुदान सहायता :-**

(अ) **भवन अनुदान सहायता :-**
इसके अंतर्गत (i) शाला भवन छात्रावास आश्रम एवं संस्था की संचालित प्रवृत्ति के मान से लगने वाले भवन का निर्माण लागत पर होने वाला व्यय (ii) अहाता निर्माण (iii) भवन विस्तार पर लगने वाला व्यय (iv) ढांचा बदलने एवं जीर्णोद्धार पर लगने वाला व्यय (v) भवन मरम्मत (vi) मूत्रालय/शौचालय निर्माण.

(ब) **पेय जल स्रोत विकसित करने का व्यय**

(स) **उपकरण अनुदान सहायता :-**

संस्था द्वारा संचालित प्रवृत्तियों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक/प्रायोगिक उपकरणों के क्रय हेतु लगने वाला व्यय सम्मिलित होगा.

(3) **शासन द्वारा मान्य, अन्य कोई अनुदान सहायता :-**

इसके अन्तर्गत शासन द्वारा उपरोक्त प्रकार के अतिरिक्त जैसा उचित समझें कोई अनुदान सहायता स्वीकृत कर सकेगा.

भाग-चार

5. **अनुदान सहायता हेतु आवेदन एवं स्वीकृति आदि की प्रक्रिया :—**

(अ) **सामान्य अनुदान सहायता की प्रक्रिया :-**

(1) नवीन अनुदान सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्था का प्रस्ताव, जिला कलेक्टर के कार्यालय में 31 अगस्त के पूर्व विहित प्रपत्रों (1 से 8) में आवेदन पत्र व कलेक्टर के कार्यालय से विभागाध्यक्ष को 31 अक्टूबर के पूर्व अथवा तक तथा विभागाध्यक्ष से शासन को 31 दिसंबर के पूर्व तक अनुशंसा सहित प्रेषित किया जाना चाहिये.

(2) अनुदान नवीनीकरण के प्रस्ताव 30 जून के पूर्व/तक जिला कलेक्टर को तथा जिला कलेक्टर से पूर्ण परीक्षण उपरान्त अनुशंसा सहित 31 अक्टूबर के पूर्व/तक विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाना चाहिये. विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षण उपरान्त शासन स्वीकृति के लिए नवीनीकरण अनुदान के प्रकरण 31 दिसंबर के पूर्व/तक अनुशंसा सहित प्रेषित की जानी चाहिये.

(3) आवेदन पत्र के साथ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित एवं अभिप्रमाणित गत वर्ष के लेखे व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे. सक्षम अधिकारी के द्वारा चाहे पर एक से अधिक वर्ष के लेखे भी संस्था को प्रस्तुत करना होगा.

(4) आवेदन पत्र के साथ आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को निरंतर रखे जाने बाबत आवश्यक निरंतरता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावेगा.

(5) आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों हेतु भवन पर्याप्त है, इस आशय का विवरण व प्रमाण (साइट प्लान, नक्शा आदि) आदिम-जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग के समक्ष अधिकारी से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा.

(6) अनुदान सहायता के आवेदन पत्र के साथ संस्था को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसी प्रवृत्ति के लिए राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/केन्द्र शासन से अनुदान प्राप्त नहीं किया जा रहा है.

(7) संस्था को अनुदान सहायता के आवेदन पत्र के साथ विहित इकरारनामा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा.

(8) संस्था अनुदान देयकों एवं इकरारनामा आदि में हस्ताक्षर करने हेतु अपने एक प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर उसका नाम एवं पता सक्षम अधिकारी को सूचित करेगी. राशि के दुरुपयोग अथवा गबन की स्थिति में राशि वसूली का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर निर्धारित किया जावेगा.

(9) संस्था को अनुदान सहायता स्वीकृत किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी अथवा जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी संस्था एवं उसके द्वारा संचालित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा, जिसके गुण-दोष के आधार पर अधिकार सीमा के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी.

(10) जिला अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त, आ. जा. एवं अनु. जा. विकास एवं राज्य शासन प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान कोई भी अतिरिक्त जानकारी मंगवा सकेगा, उपरोक्त में से कोई अधिकारी यदि अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु सक्षम हो तो आवेदन के संबंध में कार्यवाही करेगा अन्यथा गुण-दोष के आधार पर स्पष्ट अभिमत अंकित कर उचित माध्यम से सक्षम अधिकारी को अग्रेषित कर देगा.

(11) अनुदान सहायता स्वीकृत कर्ता अधिकारी आवेदित अनुदान में कटौती करने के आदेश दे सकेगा, जिसके कारण लिपिबद्ध किये जावेंगे.

(12) जिस प्रयोजन के लिए अनुदान सहायता दी गयी है उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जावेगी, संस्था को तद्नुसार अनुदान सहायता का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आगामी वर्ष में अंतिम किश्त की स्वीकृति से पूर्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा.

(13) जिस वित्तीय वर्ष के लिए संस्था को अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन में उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए. अनुदान सहायता में से जो राशि अव्ययित रह जाए उसे विभाग के प्राप्ति शीर्ष में 31 मार्च के पूर्व चालान द्वारा जमा किया जाना होगा.

(14) पूर्व से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के नवीनीकरण मामले में अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में निहित सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, निरंतरता वाले प्रकरणों में विगत वर्ष कुल स्वीकृत अनुदान का 50 प्रतिशत, प्रथम किश्त की राशि प्रत्येक वर्ष माह जून में तथा 25 प्रतिशत राशि द्वितीय किश्त माह अक्टूबर तक स्वीकृत की जावेगी तथा तृतीय एवं अंतिम किश्त के प्रस्ताव विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग को उनके स्वीकृति के अधिकार सीमा अन्तर्गत 31 अक्टूबर/दिसम्बर तक अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना चाहिए.

(15) संस्था को अपनी कार्यकारिणी समिति में विभाग के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व दिया जाना अनिवार्य होगा.

(16) नवीन अनुदान केवल उन्हीं प्रवृत्तियों के लिए स्वीकृत होगा जिसमें अनुदान नियमों का पालन किया गया है.

(17) जब कभी कोई अनुदान सहायता प्राप्त संस्था, इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के संबंध में उसके कार्य संपादन पर, अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी का समाधान न कर पाये तो वह उक्त संस्था के प्रबंधन को वर्णित खामी/त्रुटि को दूर/ठीक करने के लिए एक निर्धारित समय के भीतर नोटिस देगा और संस्था द्वारा नोटिस का पालन न किये जाने पर अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी अनुदान रोक सकेगा या उसकी राशि कम कर सकेगा या दी गई राशि की वसूली का आदेश दे सकेगा.

(18) किसी भी संस्था द्वारा पिछले वर्ष प्राप्त अनुदान सहायता से अधिक राशि की मांग की जाने पर ऐसी अतिरिक्त मांग का सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए. मांग का पूरा औचित्य होने पर बढ़ी हुई राशि की मांग के प्रस्ताव को जिला अधिकारी द्वारा कलेक्टर को भेजा जाएगा. कलेक्टर उसे अपनी अनुशंसा सहित सक्षम अधिकारी को भेजेंगे. सक्षम अधिकारी पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही अधिक प्रस्तावित राशि का समावेश अगले वर्ष के प्रस्ताव में किया जा सकेगा परंतु कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि इस नियम की परिधि से बाहर होगी.

(ब) भवन अनुदान सहायता हेतु पात्रता एवं स्वीकृति की प्रक्रियाएं :-

(1) भवन अनुदान सहायता अनावर्ती अनुदान सहायता है जो उसी स्थिति में स्वीकृत की जा सकेगी, जब संस्था के पास भवन हेतु स्वयं की भूमि या कम से कम तीस वर्षों के लिए लीज पर ली गई भूमि उपलब्ध हो.

(2) संस्था की गतिविधियों के संचालन हेतु भवन, छात्रावास, आश्रम तथा कर्मचारी आवासों के निर्माण, खरीदी तथा जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति की जा सकेगी. भवन अनुदान सहायता हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र के साथ कार्य की कुल लागत का 20 प्रतिशत अंश संस्था द्वारा स्वयं वहन करने का सहमति पत्र देना होगा.

(3) अनुदान स्वीकृति पश्चात् संस्था को अपने हिस्से की 20 प्रतिशत राशि का, निर्माण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने का प्रमाण-पत्र शासन के कार्य निर्माण के (वर्क्स डिपार्टमेंट) सक्षम तकनीकी अधिकारी जो अनुविभागीय अधिकारी से अनिम्न हो के मूल्यांकन प्रतिवेदन सहित शासन को भेजना होगा, तत्पश्चात् स्वीकृत अनुदान राशि दो किस्तों में कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर विमुक्त की जा सकेगी.

(4) निर्मित भवन क्रय के मामले में कुल मूल्य की 20 प्रतिशत राशि का जिला अधिकारी के कार्यालय में एकाउंट पेयी चेक या ड्राप्ट के रूप में जमा करना होगा. इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

(5) भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा विभाग में स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन के अनुसार विभिन्न भवनों के निर्माण प्रस्तावों के लिए निम्नानुसार होगी :-

संस्था	सीट संख्या	लागत (लाखों में)
प्रीमैट्रिक छात्रावास	30 सीटर	24.12
प्रीमैट्रिक छात्रावास	50 सीटर	29.24
प्रीमैट्रिक छात्रावास	100 सीटर	44.56
आश्रम स्कूल	100 सीटर	62.37
आश्रम स्कूल	50 सीटर	35.86
आश्रम स्कूल	30 सीटर	31.88
हाईस्कूल/उ. मा. वि. (500 एवं उससे ऊपर दर्ज संख्या तक)		45.67
हाईस्कूल/उ. मा. वि. (500 से कम दर्ज संख्या तक)		21.38
पो. मै. छात्रावास	50 सीटर	34.40
पो. मै. छात्रावास	100 सीटर	84.22
प्राचार्य निवास गृह		06.79
व्याख्याता निवास	2 यूनिट	20.98
लिपिकीय आवास		03.00
चौकीदार आवास		02.18
अधीक्षक आवास		03.00
अतिरिक्त कक्ष		04.15

टीप :- भविष्य में विभागीय भवनों की स्वीकृति लागत पुनरीक्षित किये जाने पर पुनरीक्षित दरों के अनुरूप भवन अनुदान दिया जा सकेगा.

(6) निर्माण कार्य का लेखा-जोखा, प्रसारित किये गये विहित प्रपत्र में रखना होगा.

(7) निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर वास्तविक व्यय के संबंध में कार्य विभाग अथवा आ. जा. क. विभाग के अनुविभागीय अधिकारी से अनिम्न अधिकारी से कार्य का अंतिम मूल्यांकन एवं पूर्णत: प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा. प्रमाण-पत्र में यह भी उल्लेखित होना चाहिए कि कार्य अनुमोदित मानचित्र एवं स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर ही किया गया है.

(8) संस्था के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट "ब" में इकरारनामा निष्पादित करना होगा.

(9) निर्माण कार्य के स्वीकृत/प्रगति के संबंध में परिशिष्ट "क" में पंजी का संधारण जिला अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा.

(10) अनुदान सहायता से संस्था के लिए बनाया गया/क्रय किया गया भवन (आंशिक/पूर्ण) संबंधित गतिविधि बंद होने अथवा/एवं संस्था की सभी प्रकार की अनुदान सहायता बंद किये जाने पर, शासनाधीन होगा. संस्था द्वारा ऐसे भवन शासन की अनुमति के बिना :-

1. बेचा नहीं जा सकेगा.
2. रहन (गिरवी) नहीं रखा जा सकेगा.
3. किराये पर नहीं दिया जा सकेगा, तथा
4. किसी भी विधि से किसी अन्य को किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं दिया जा सकेगा.

भाग-पांच

6. **प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार :—**

(1) नवीनीकरण अनुदान की स्वीकृति के लिए रु. 20.00 लाख तक के अधिकार कलेक्टर को, रु. 50.00 लाख तक विभागाध्यक्ष को तथा उससे अधिक प्रशासकीय विभाग को होंगे.

(2) नवीन प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों के संबंध में अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रथम वर्ष में राज्य शासन द्वारा दी जावेगी. किंतु अगले वर्ष में नवीनीकरण के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा उनको कण्डिका 6 (1) अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय अधिकार सीमा में अनुदान स्वीकृत किया जावेगा परंतु यह भी कि यदि संबंधित संस्था द्वारा कोई नवीन प्रवृत्तियों या गतिविधियां ली जाती है, तो संपूर्ण प्रकरण में शासन स्वीकृति आवश्यक होगी.

(3) नवीन पदों की स्वीकृति एवं स्वीकृत पदों का उन्नयन एवं नवीन प्रवृत्तियों की स्वीकृति के अधिकार कलेक्टर एवं/अथवा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर राज्य शासन को रहेगा. संस्था में नवीन पद स्वीकृत किये जाने की स्थिति में इन पदों के लिए अनुदान सहायता नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्वीकार्य होगी.

(4) आवर्ती व्यय कलेक्टर की अनुशंसा पर विभागाध्यक्ष/राज्य शासन द्वारा कंडिका 6 (1), (2) अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकेगा.

(5) भवन अनुदान सहायता कलेक्टर एवं/अथवा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर शासन द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी.

भाग-छः

7. **निरर्हताएं :—**

(1) संस्थाओं को देय अनुदान सहायता निम्नांकित आधारों पर समाप्त हो जायेगी तथा इन उपबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा :-

(i) अनुदान सहायता राशि दुरुपयोग, दुर्विनियोजन, गबन, धोखाधड़ी एवं जालसाज़ी होने अथवा/एवं करने अथवा/एवं कराने पर.
(ii) नियम 3.1 से 3.9 का उल्लंघन होने पर.
(iii) शासन एवं/अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्देशों/आदेशों की अवज्ञा करने पर.
(iv) इन नियमों के अंतर्गत अन्य किसी शर्त या प्रावधान का उल्लंघन होने पर.
(v) काली सूची में दर्ज होने पर.
(vi) संस्था प्रबंधन के असामाजिक/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर परंतु यह भी कि ऐसी कार्यवाही के पूर्व संबंधित संस्था को सुनवाई का समुचित अवसर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जावेगा.
(vii) संस्था के बोर्ड परीक्षा परिणाम 65 प्रतिशत से न्यून होने पर.
(viii) नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षण नियमों की अवहेलना करने पर.

(2) संस्थाओं को देय अनुदान सहायता निम्नांकित आधारों पर भी समाप्त की जा सकेगी :-

(i) जाति विशेष या संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर.
(ii) जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, भाषा या क्षेत्र विशेष से भेद-भाव करने पर.
(iii) अनुज्ञप्त प्रवृत्तियों में परिवर्तन/समाप्त होने पर.
(iv) शासन द्वारा संबंधित गतिविधि/प्रवृत्ति उस क्षेत्र विशेष अथवा समय विशेष के लिए अनुपयुक्त/अनावश्यक पाये जाने पर.
(v) संस्था प्रबंधन अथवा/एवं कर्मचारियों के दलगत राजनीति से संबंध रखने पर.
(vi) संस्था के कृत्य अथवा/एवं प्रकृति व्यापारिक-वाणिज्यिक होने पर.

(3) ऐसी संस्था अनुदान सहायता हेतु अपात्र होगी, जिसकी आय समस्त स्रोतों से उतनी हो, जो कि राज्य शासन के मतानुसार, अनुदान सहायता प्राप्त किए बिना अपनी गतिविधि/प्रवृत्ति दक्षता पूर्वक संचालन कर सकने के लिए पर्याप्त हो.

भाग-सात

8. **संस्था का निरीक्षण, अंकेक्षण तथा अनुदान राशि की वसूली :—**

(1) शासन द्वारा निम्नांकित स्थिति या स्थितियों में किसी भी समय संस्था को प्रदत्त अनुदान सहायता की यथा अनुरूप, समग्र या शेष राशि का भुगतान रोका जा सकेगा अथवा/एवं प्रदत्त राशि को समग्र या संगणना अनुसार भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा.

(i) संस्था द्वारा, स्वीकृत प्रवृत्त या प्रवृत्तियों का आंशिक या पूर्ण रूप से बंद करने पर.
(ii) स्वीकृत प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों के संबंध में शासन के ध्यान में यह बात आने पर कि उक्त प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां अनुपयुक्त या अनावश्यक है.
(iii) अनुदान सहायता राशि का दुरुपयोग करने पर.
(iv) अनुदान सहायता राशि को समग्र या आंशिक रूप से स्वीकृत प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों से भिन्न प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों पर व्यय करने पर.
(v) कार्यालय महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन अनिवार्यत: सक्षम अधिकारी एवं जिला अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा अथवा/एवं उनके कार्यालय में संधारित रहेगा.

(2) अनुदान सहायता राशि का उपयोग संस्था द्वारा स्वीकृत प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों पर ही किया गया है, इसे सुनिश्चित करने हेतु-

(i) जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से न्यूनतम एक बार निरीक्षण किया जाएगा.
(ii) विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से न्यूनतम एक बार अंकेक्षण किया जाएगा.
(iii) सक्षम अधिकारी अथवा/एवं विभाग के राजपत्रित अधिकारी, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के अंकेक्षण दल अथवा/एवं राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेन्सी के अंकेक्षण पर संस्था द्वारा चाहे गये अभिलेख उपलब्ध कराया जावेगा.

(3) निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा/एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अनिवार्यत: सक्षम अधिकारी एवं जिला अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा अथवा/एवं उनके कार्यालय में संधारित रहेगा.

भाग-आठ

9. **कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं अनुशासनिक कार्यवाही :—**

(1) विभाग के अधीन अनुदान प्राप्त संस्थाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले स्वीकृत पदों को भरने हेतु वही नियम मान्य होंगे जो कि प्रवृत्ति के संचालन हेतु विभाग अथवा अन्य प्रवृत्ति के मामले में संबंधित शासकीय विभाग में तत्समय लागू हैं.

(2) अनुदान प्राप्त संस्थाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को भरने हेतु किसी भी प्रादेशिक स्तर के अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराना होगा.

(3) शासन से अनुदान प्राप्त संस्था के लिये स्वीकृत सेटअप में से रिक्त हुये पदों को भरने के लिये संस्था की कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा से प्रस्ताव तैयार कराकर जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जा सकेगी.

(4) अनुदान प्राप्त संस्था द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यकारिणी सदस्यों, जिला अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक चयन समिति बनाई जायेगी तथा चयन समिति की अनुशंसा पश्चात् ही अंतिम रूप से जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत ही किसी पद की चयन सूची जारी की जावेगी.

(5) विभाग/अन्य शासकीय विभाग में प्रचलित पदोन्नति की प्रक्रिया भी अनुदान प्राप्त संस्थाओं में उसके द्वारा संचालित प्रवृत्तियों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में मान्य होगी.

(6) शैक्षणिक प्रवृत्तियां संचालित करने वाली संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों हेतु पदोन्नति के लिये विभागीय भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होगा तथा गैर शैक्षणिक प्रवृत्तियों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु संचालित प्रवृत्तियों से संबंधित शासकीय विभागों में लागू पदोन्नति संबंधी नियम मान्य होंगे.

(7) संस्था के किसी कर्मचारी पर निलंबन अथवा दण्ड अथवा अनुशासनिक कार्यवाही स्थापित करने के संबंध में संस्था की भी कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी अनुशंसा/अभिमत से सक्षम अधिकारी को अवगत कराया जायेगा परंतु इसके पूर्व संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होगा.

(8) कार्यकारिणी समिति द्वारा संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात् समिति की अनुशंसा/अभिमत के साथ संस्था द्वारा प्रकरण सक्षम अधिकारी को भेजा जायेगा एवं इनके द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जा सकेगा.

भाग-9

10. **संस्था का कर्मचारियों के संबंध में कर्त्तव्य एवं दायित्व :—**

(1) संस्था के कर्मचारियों के वेतन में से जमा की गई भविष्य निधि राशि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जाना वर्जित होगा.

(2) कर्मचारियों के भविष्य निधि का हिसाब तथा पास बुक का संधारण संस्था को करना होगा. संस्था को अनुदान के आवेदन के साथ पूर्व की राशि संबंधित के खाते में जमा कराये जाने बाबत् प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(3) शासन से प्रथम बार अनुदान प्राप्त होने पर उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की गणना हेतु नियमानुसार उस तिथि से जैसा कि राज्य शासन के आदेश में उल्लेखित हो, संस्था द्वारा देय अंशदान जो कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त छ. ग. रायपुर द्वारा वर्तमान लागू दर के अनुसार भविष्य निधि अंशदान की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी. कर्मचारी यदि चाहे तो इससे अधिक भी कटौती करवा सकता है, परन्तु अतिरिक्त अंशदान की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी.

(4) भविष्य निधि-अंशदान की राशि संबंधित कर्मचारी के अंशदान सहित भविष्य निधि खाते में जमा होने बाबत प्रमाण स्वरूप बैंक खाते की अभिप्रमाणित छायाप्रति, विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा.

(5) संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को समूह बीमा योजना अंतर्गत सदस्य बनाकर अंशदान की राशि आवश्यक रूप से संबंधित बीमा संस्थाओं में जमा करना होगा तथा प्रमाण स्वरूप खाते की अभिप्रमाणित छायाप्रति विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा

(6) अनुदान सहायता प्राप्त संस्था किसी भी कर्मचारी को संविदा पर, दैनिक वेतन पर या अन्य व्यवस्था के तहत रख सकता है, परंतु देय वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय न्यूनतम मजदूरी दर से अन्यून होगा.

(7) संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये नियमों/निर्देशों के अनुसार की जावेगी, एवं आरक्षण नियमों का पालन करना होगा.

(8) संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का संधारण संस्था को करना होगा.

(9) संस्था को अपने कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान उनके बैंक खाता के मांध्यम से करना होगा.

(10) कर्मचारियों से समस्त प्रकार की कटौतियां (भविष्य निधि अंशदान आदि) एवं अभिलेख संधारण का दायित्व संस्था का होगा.

(11) अनुदान सहायता प्राप्त संस्थाओं को अपने कर्मचारियों हेतु एक "आदर्श आचरण संहिता" तैयार कर उसका पालन सुनिश्चित करना चाहिए परंतु यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई आंदोलन या गतिविधि इस नियम के क्षेत्र के भीतर आती हैं, तो उस पर राज्य शासन द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा.

11. **संस्था के अन्य कर्त्तव्य एवं दायित्व :-**

(1) संस्था द्वारा संचालित प्रवृत्तियों में जनभागीदारी परिलक्षित होनी चाहिए.

(2) अनुदान से संचालित शाला/छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित बच्चों को समय पर समुचित न्यूनतम सुविधायें प्रदान करने की जिम्मेदारी संस्था की होगी.

(3) प्रवृत्ति/संस्था के विद्यार्थियों के उपयोग हेतु क्रयित सामग्री और अर्जित/निर्मित परिसंपत्तियों का उपयोग केवल अधिकृत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा छात्रों के हित में किया जा सकेगा.

(4) अनुदान से संचालित प्रवृत्ति के लिए मान्य शैक्षणिक एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य किसी असम्बद्ध गतिविधि का न तो संस्था संचालन करेगी और न ही अनाधिकृत व्यक्ति/व्यक्ति समूह को संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति देगी.

भाग-दस

12. **विविध :—**

(1). सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित किसी प्रवृत्ति के लिए उचित छानबीन के बाद संतुष्ट होने पर अनुदान सहायता स्वीकृत की जा सकेगी अथवा वह राज्य शासन को अपनी अनुशंसा प्रेषित कर सकेगा.

(2) यदि इन नियमों के उपबंधों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य शासन उपयुक्त आदेश द्वारा यह कठिनाई दूर कर सकेगा.

(3) इन नियमों के किसी नियम या उपनियम की व्याख्या के लिए राज्य शासन का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बंधनकारी होगा.

(4) किसी भी स्थान पर शासन द्वारा यदि पूर्व से कोई प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां संचालित की जा रही हैं तो उस स्थान पर किसी संस्था को समान प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों के लिए नवीन अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा परंतु गुण-दोष के आधार पर शासन द्वारा संस्था को अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो शासन द्वारा संचालित वह प्रवृत्तियां बंद कर दी जावेंगी.

भाग-ग्यारह

13. **निरसन :—**

1. यह नियम लागू होने के पश्चात्, इसके पूर्व प्रवृत्त, अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985 एवं संशोधित अनुदान नियम 2000 निरस्त माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

प्रपत्र-1

आवेदन पत्र

प्रति,

जिलाध्यक्ष,
जिला ....

विषय :- नवीन/नवीनीकरण अनुदान सहायता हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

मैं, ... पद .... संस्था का नाम .... की ओर से प्राधिकृत ढंग से निवेदन करता हूं कि संस्था को .... (प्रवृत्ति का नाम) हेतु आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष .... में नवीन/नवीनीकरण अनुदान सहायता रु. .... प्रदान की जाये. संस्था की आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. संस्था का नाम ....
2. संस्था का कार्यक्षेत्र ....
3. संस्था के प्रमुख कार्यालय का व स्थान का पता ....
4. संस्था के सदस्यों की संख्या ....
5. संस्था की स्थापना का दिनांक ....
6. संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक (प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें) ....
7. संस्था के बायलाज की प्रतिलिपि संलग्न करें ....
8. (अ) संस्था की वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति की चुनाव का दिनांक. ....
   (ब) संस्था के वर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में यदि परिवर्तन हुआ हो तो परिवर्तित प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की पंजीयक से अनुमोदित सूची संलग्न की जाए. ....
   (स) प्रबंधकारिणी सदस्यों की कुल संख्या ....
   (द) अ. जा./अनु. ज. जा. सदस्यों की संख्या ....
   (इ) संस्था में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति पदाधिकारियों के नाम एवं पद. ....
9. रजिस्ट्रीकरण के विधान के अनुसार संस्था के विगत तीन वर्ष की आय व्यय व हिसाब की जांच किसी चार्टर्ड-एकाउंटेंट से कराने का प्रमाणीकरण संलग्न करे. अगर जांच नहीं कराई गई हो तो उसका विस्तृत कारण दर्शाएं. ....
   (अ) प्रस्तावित संचालित प्रवृत्ति हेतु संस्था के पास आवश्यक अधोसंरचना सुविधा उपलब्ध होना चाहिए. इस हेतु उपलब्ध सुविधा की पूर्ण जानकारी संलग्न की जाए. ....
   (ब) संचालित प्रवृत्ति अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य योजना को संचालित करने का सामान्य सभा/कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यवाही विवरण की मूल प्रति संलग्न की जाए. ....

10. (अ) छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग द्वारा सहायता प्राप्त हुई हो तो उस विभाग का नाम व जिस कार्य के लिए सहायता प्राप्त की हो तो उसका मदवार विवरण आदेश की प्रतिलिपि व स्वीकृति बजट आवंटन की प्रतिलिपि भी संलग्न करें. ....

(ब) छत्तीसगढ़ के बाहर की किसी संस्था द्वारा सहायता प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण. ....

(स) जन साधारण जनता द्वारा प्रदत्त किसी संस्था को चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ व बाहर की संस्था से जो सहायता प्राप्त होना हो तो उसका पूर्ण विवरण. ....

(द) संस्था को किसी अन्य स्रोत से अनुदान सहायता प्राप्त होना प्रस्तावित है या परियोजना भेजी गई है उसका पूर्ण विवरण. ....

(इ) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता का पूर्ण विवरण. ....

11. संस्था किसी राजकीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था से संबंधित हो, ऐसे कार्यों में संलग्न हो तो उसका विवरण दें. ....

12. प्रवृत्तियों का विवरण जिसके लिए अनुदान चाहा गया है ....

13. प्रवृत्ति का नाम ....

14. प्रवृत्ति का संचालन संस्था द्वारा कब से किया जा रहा है ....

15. संचालित प्रवृत्ति का स्थान ....वि. ख..........तह..........जिला..........

16. प्रवृत्ति संचालन की सक्षम स्तर से मान्यता/अनुमति ....

17. प्रवृत्ति यदि शैक्षणिक संस्था हो तो :

(अ) कुल दर्ज संख्या ....

(ब) अनुसूचित जनजाति की दर्ज संख्या एवं प्रतिशत ....

(स) अनुसूचित जाति की दर्ज संख्या एवं प्रतिशत ....

18. संचालित प्रवृत्ति के पिछले दो वर्षों का बोर्ड परीक्षा (5वीं., 8वीं, 10वीं, 12वीं) परिणाम (वर्गवार संलग्न करें). ....

(अ) संबंधित शैक्षणिक जिला/माध्यमिक शिक्षा मंडल का औसत परीक्षाफल (जो लागू हो) ....

19. प्रवृत्ति यदि गैर शैक्षणिक हो तो (दो वर्षों की जानकारी दें)

(अ) प्रवृत्ति का कार्यक्षेत्र ....

(ब) कुल ग्राम संख्या ....

(स) कुल लाभांवित संख्या : ....

(i) सामान्य वर्ग संख्या ....

(ii) अनु. जनजाति संख्या ....

(iii) अनु. जाति संख्या ....

20. संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि/प्रवृत्ति के लिए लगने वाली राशि का अनुदान पत्रक (प्रस्तावित बजट संलग्न करें). ....

21. अनुदान सहायता प्राप्त करने एवं अन्य कार्यवाहियों के हेतु संस्था द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पद. ....

22. प्रवृत्ति में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी (निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें) ....

23. संबंधित जिला में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रतिशत :

(अ) अनुसूचित जनजाति ....

(ब) अनुसूचित जाति ....

(स) पिछड़ा वर्ग ....

24. संस्था का डाक का पता ....

संस्था के पदाधिकारी
का
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

घोषणा

मैं, ... पद .... संस्था का नाम .... की ओर से प्राधिकृत ढंग से घोषित करता हूं कि संस्था, राज्य शासन के तत्संबंधी नियम तथा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करेगी तथा अनुदान की राशि का विहित विनियोग/उपयोग करने के लिए संस्था बाध्य होगी.

स्थान :

दिनांक :

संस्था के पदाधिकारी
का
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

क्रमांक /....................................

प्रतिलिपि :-

आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित. उक्त प्रस्ताव जिलाध्यक्ष .... को संस्था के ज्ञापन क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा भेज दिया गया है.

संस्था के पदाधिकारी
का
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रपत्र-2

पूर्व में प्राप्त अनुदान सहायता का अंकेक्षित (आडिट) आय-व्यय का विवरण

1. संस्था का नाम ....
2. गतिविधि/प्रवृत्ति का नाम ....
3. अनुदान स्वीकृति वर्ष ....
4. स्वीकृत अनुदान राशि ....
5. अन्य स्रोतों से एकत्रित राशि ....
6. योग राशि ....
7. स्वीकृत सहायता राशि में मदवार व्यय :

	मद का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि
(1)	....	....	....
(2)	....	....	....
(3)	....	....	....
(4)	....	....	....

8. अन्य स्रोतों से एकत्रित राशि में से मदवार व्यय

	मद का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि
(1)	....	....	....
(2)	....	....	....
(3)	....	....	....
(4)	....	....	....

9. कुल व्यय राशि ....
10. स्वीकृत अनुदान सहायता राशि में से अव्ययित राशि ....
11. अन्य स्रोतों से एकत्रित राशि में से अव्ययित राशि ....
12. कुल अव्ययित राशि ....
13. अव्ययित राशि को विभाग में वापिस करने का चालान क्रमांक/ दिनांक. ....
14. अन्य विवरण ....

संस्था के पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

चार्टर्ड एकाउंटेंट का
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रपत्र-3

छात्र उपस्थिति प्रमाण-पत्र

1. संस्था का नाम ....
2. छात्रावास/आश्रम/शाला का नाम ....
3. जिला ....
4. छात्रावास/आश्रम/शाला हेतु स्वीकृत स्थान/दर्ज संख्या ....
5. औसत उपस्थिति विवरण :

वर्ष	अप्रैल	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
20....										
20....										
20...										
20...										

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रों की उपस्थिति की सूची केन्द्र की उपस्थिति पंजी के अनुसार सही है व छात्रावास/आश्रम का वर्ष .... का भोजन खर्च जो हिसाब में दर्शाया गया है यह खर्च के व्हाउचर व खाद्य सामग्री का उपयोग रिकार्ड के अनुसार सही है. (केंवल छात्रावास/आश्रम हेतु)

संस्था के पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

चार्टर्ड एकाउंटेंट का
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रपत्र-4

अनुदान हेतु चालू वर्ष का बजट प्रस्ताव
(तुलनात्मक विवरण)

1. संस्था का नाम ....
2. गतिविधि/प्रवृत्ति का नाम ....
3. जिला ....
4. बजट प्रस्ताव ....

क्र.	मद	पूर्व वर्ष में स्वीकृत राशि	संस्था द्वारा प्रस्तावित राशि	जिलाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित राशि	विभागाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित राशि
1	2	3	4	5	6

संस्था के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

चार्टेड एकाउन्टेंट का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

कलेक्टर का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नोट :- आवेदनकर्त्ता संस्था कलेक्टर को प्रस्तुत प्रस्ताव में इस प्रपत्र की तीन प्रतियां संलग्न करेगी, कलेक्टर विभागाध्यक्ष को प्रस्ताव भेजते समय प्रपत्र की दो प्रतियां कालम 5 की पूर्ति करके भेजेंगे (कॉलम 6 की पूर्ति न करें) इसके साथ ही संक्षिप्त विवरण भी देंगे.

प्रपत्र-5

संचालित प्रवृत्ति हेतु प्रारंभ से अब तक प्राप्त अनुदान सहायता का विवरण

1. संस्था का नाम ....
2. गतिविधि/प्रवृत्ति का नाम ....
जिस हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है
3. अनुदान सहायता विवरण : ....

क्र.	वर्ष	शासन/विभाग का स्वीकृत आदेश क्र. एवं दिनांक	स्वीकृत अनुदान राशि	प्रदत्त अनुदान राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7

संस्था के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

चार्टेड एकाउन्टेंट का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

कलेक्टर का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रपत्र-6

प्रस्तावित बजट का तुलनात्मक विवरण

1. संस्था का नाम ....
2. गतिविधि/प्रवृत्ति का नाम ....
   जिस हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया
3. बजट का तुलनात्मक विवरण ....

क्र.	मद	पूर्व वर्ष .... में स्वीकृत अनुदान सहायता राशि	प्रस्तावित अनुदान सहायता राशि	प्रस्तावित अधिक राशि	प्रस्तावित अधिक राशि का औचित्य
1	2	3	4	5	6

संस्था के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

चार्टेड एकाउन्टेंट का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

कलेक्टर का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नोट :-
1. पूर्व वर्ष .... में स्वीकृत मद के अतिरिक्त अन्य कोई नई मांग हो तो सबसे नीचे नवीन मांग शीर्षक देकर पृथक से विवरण दें.
2. प्रत्येक प्रस्तावित वृद्धि एवं नवीन मांग के लिये कारण तथा औचित्य दर्शाते हुए विवरण दें.
3. नामांकन पत्रक प्रस्तावित बजट के साथ ही संलग्न करें.
4. मांग प्रस्ताव मदवार दें.

प्रपत्र-7

संस्था के कर्मचारियों का विवरण

क्र.	नाम	जाति (एस. टी. एस. सी. ओ. बी. सी.)	पद	शैक्षणिक योग्यता	संस्था में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूलवेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ता	कुल वेतन	पूर्व वर्ष में अप्रैल से मार्च तक दिया गया कुल वेतन	वेतन वृद्धि का दिनांक	वेतन वृद्धि का दर	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

संस्था के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

चार्टेड एकाउन्टेंट का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

कलेक्टर का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नोट :-
1. गैर शैक्षणिक प्रवृत्ति हेतु आवश्यकता के अनुसार प्रपत्र में परिवर्तन कर प्रपत्र तैयार किया जाय. यदि किसी कर्मचारी को पदोन्नति के फलस्वरूप उसके वेतन में वृद्धि हुई तो आदेश क्रमांक की प्रति संलग्न करें.
2. यदि कोई कर्मचारी कहीं से स्थानांतरित किया गया हो तो स्तंभ "विशेष" में जानकारी दें.
3. इस प्रपत्र में किसी भी प्रकार की विभिन्नता होने पर विगत वर्ष के अनुसार ही अनुदान स्वीकृत होने से किसी भी कर्मचारी को आर्थिक क्षति होने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी.

प्रपत्र-8

उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को भेजे जाने की सूचना संबंधी जानकारी

1. संस्था का नाम ....
2. गतिविधि/प्रवृत्ति का नाम जिस हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था. ....
3. स्वीकृति वर्ष ....
4. कुल स्वीकृत राशि ....
5. कुल उपयोग की गई राशि ....
6. कलेक्टर द्वारा महालेखाकार को भेजे गए पत्र का क्रमांक एवं दिनांक. ....
7. कलेक्टर द्वारा महालेखाकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुसार उपयोग की गई राशि का मदवार विवरण : ....

क्र.	मद	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	अवशेष राशि	अवशेष राशि जमा करने का चालान क्र./दि.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7

संस्था के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

चार्टेड एकाउन्टेंट का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

कलेक्टर का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

टीप :- उपयोगिता प्रमाण-पत्र में उपयोग की गई राशि का व्यय विवरण मदवार दिया जावे.

परिशिष्ट - क

भवन अनुदान सहायता से अधिग्रहित स्थायी/अर्धस्थायी सम्पत्तियों की पंजी का प्रारूप नियम 5 (ब) (9)

1. संस्था का नाम ....

2. गतिविधि/प्रवृत्ति का नाम जिसके लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है. ....

3. कार्य का नाम ....

4. कहां पर स्थित है :
   (1) ग्राम/स्थान ....
   (2) विकास खण्ड ....
   (3) तहसील ....
   (4) जिला ....

5. निर्माण कार्य प्रारंभ करने का दिनांक ....

6. निर्माण करने वाली एजेन्सी का नाम ....

7. अनुमानित लागत (प्राक्कलन अनुसार) ....

8. विस्तृत प्राक्कलन का स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक ....

9. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक. ....

10. अनुदान सहायता के अंतर्गत भवन हेतु पूर्व वर्षों में दी गई सहायता राशि. ....

11. आवंटन आदेश/आदेशों का क्रमांक एवं दिनांक ....

12. बिन्दु 10 में प्राप्त राशि में से व्यय की गई राशि ....

13. बिन्दु 10 में प्राप्त राशि में से अवशेष राशि ....

14. अनुदान सहायता के अंतर्गत भवन हेतु वर्तमान वर्ष में दी गई सहायता राशि. ....

15. आवंटन आदेश का क्रमांक एवं दिनांक ....

16. बिन्दु 14 में प्राप्त राशि में से व्यय की गई राशि ....

17. बिन्दु 14 में प्राप्त राशि में से अवशेष राशि ....

18. अन्य स्रोतों से भवन हेतु एकत्र की गई सहायता राशि ....

19.	बिन्दु 18 में प्राप्त राशि में से व्यय की गई राशि	....
20.	बिन्दु 18 में प्राप्त राशि में से अवशेष राशि	....
21.	भवन हेतु प्राप्त कुल सहायता राशि	....
22.	भवन हेतु व्यय कुल राशि	....
23.	भवन हेतु प्राप्त कुल सहायता राशि में से अवशेष राशि	....
24.	कार्य की भौतिक प्रगति	....
25.	कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि	....
26.	कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	....
27.	मूल प्रस्ताव से भिन्न अथवा अतिरिक्त निर्माण यदि किया गया हो तो उसका विवरण.	....
28.	बिन्दु 27 के कारण हुआ अतिरिक्त व्यय	....
29.	संशोधन/परिवर्धन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति का क्रमांक एवं दिनांक.	....

टीप :- इस पंजी का संधारण उपरोक्तानुसार संस्था को करना होगा. जिसकी एक प्रति प्रतिवर्ष स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजनी होगी.

संस्था के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	चार्टेड एकाउन्टेंट का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	कलेक्टर का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट "अ"

अनुदान की पात्रता वाली गतिविधि/प्रवृत्तियां एवं अनुदान सहायता का मापदण्ड

क्र.	गतिविधि/प्रवृत्ति का नाम	भवन किराया	प्रकाश एवं जल प्रभार	प्रवृत्तियां प्रारंभ करते समय व्यवस्था फर्नीचर उपकरण आदि हेतु अनावर्तक व्यय के लिए अनुदान सहायता					कर्मचारी एवं नैमित्तिक व्यय से वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या एवं पद का नाम
				साजसज्जा सामग्री	रसोई के लिए सामान	पुस्तकालय	खेलकूद सामग्री	फर्नीचर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	छात्रावास	जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त किराया उपयुक्तिकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार.	देयक के आधार पर वास्तविक व्यय.	---------------विभागीय छात्रावास के मान से---------------					विभागीय छात्रावास के मान से
2	आश्रम	तदैव	तदैव	---------------विभागीय आश्रम के मान से---------------					विभागीय आश्रम के मान से
3	बालवाड़ी/बालमंदिर	तदैव	तदैव	2000/- प्रति बालवाड़ी	2000/- प्रति बालवाड़ी	500/- प्रति बालवाड़ी	1000/- प्रति बालवाड़ी	--	बाल सेविका-1, (नि. श्रे. शि. स्तर), सहायक शिक्षिका-1, भृत्य, चौकीदार-1
4	अस्पृश्यता निवारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	500/- प्रति वर्ष	लागू नहीं	250/-	प्रचारक-1 (नि.श्रे.शि. स्तर)
5	आयुर्वेदिक औषधालय/ एलोपैथिक औषधालय	जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त किराया उपयुक्तिकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार.	देयक के आधार पर वास्तविक व्यय.	5000/- रु. प्रति संस्था तथा रु. 20000/- प्रतिवर्ष दवाई हेतु.	लागू नहीं	--	लागू नहीं	2000/-	वैद्य/चिकित्सक-1 कम्पाउन्डर-1, चौकीदार-1 पार्टटाईम स्वीपर-1
6	माध्यमिक शाला	तदैव	तदैव	विभागीय मापदण्ड अनुसार					विभागीय मापदण्ड अनुसार
7	प्राथमिक शाला	तदैव	तदैव	विभागीय मापदण्ड अनुसार					विभागीय मापदण्ड अनुसार
8	उ. मा. शाला	तदैव	तदैव	विभागीय मापदण्ड अनुसार					विभागीय मापदण्ड अनुसार

वेतन भत्ते एवं मजदूरी	शिष्यवृत्ति छात्रवृत्ति	अनुरक्षण व्यय एवं व्यवस्था व्यय हेतु अनुदान सहायता	नास्ता
11	12	13	14
शासन द्वारा स्वीकृत दर अनुसार एवं जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	500/- के मान से प्रतिवर्ष प्रति छात्र	लागू नहीं
तदैव	तदैव	तदैव	लागू नहीं
तदैव	लागू नहीं	500/- प्रति सत्र के मान से	40 बच्चों हेतु 6/- प्रति छात्रा के मान से 10 माह हेतु
तदैव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
तदैव	लागू नहीं	500/- प्रतिवर्ष	लागू नहीं
शासन द्वारा निर्धारित	लागू नहीं	शासन द्वारा निर्धारित	लागू नहीं
तदैव	लागू नहीं	तदैव	लागू नहीं
तदैव	लागू नहीं	तदैव	लागू नहीं

परिशिष्ट - ब

करारनामा

यह करारनामा आज दिनांक .... सन् दो हजार .... को प्रथम पक्ष राज्यपाल, छत्तीसगढ़, जो इसके आगे प्रदानकर्ता कहलायेंगे, जिस व्यंजक में उनके पदानुवर्ती भी सम्मिलित होंगे, जिनकी ओर संपादन कलेक्टर जिला, ... छत्तीसगढ़ कर रहे हैं तथा द्वितीय पक्ष .... जो .... विधान/विधान क्रमांक .... के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जो इसके आगे प्राप्तिकर्त्ता कहलायेंगे, जिस व्यंजक में, जहां कि ऐसी प्रसंगानुकूल हो, उसके पदनुवर्ती तथा सत्वपूर्ण ग्रहीता भी सम्मिलित होंगे, जिसकी ओर से कार्य संपादन उसके श्री .... कर रहे हैं, के मध्य किया जाता है जो आदिमजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण हेतु कार्यरत है.

प्राप्तिकर्त्ता द्वारा उनके पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर को आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, राज्य शासन ने प्राप्तिकर्ता को आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा .... आशय हेतु वर्ष .... के लिये रुपये .... केवल इसमें नीचे उल्लेखित अनुबंध एवं प्रतिबंधों पर स्वीकार किए हैं.

प्राप्तकर्ता उक्त अनुदान को उपर्युक्त आशय के हेतु उक्त अनुबंधों एवं प्रतिबंधों पर लेने के लिये सहमत हैं. अत: यह करारनामा इस बात का प्रमाण है तथा इसके द्वारा निम्नानुसार अनुबंध किये जाते हैं :-

1. प्राप्तिकर्ता अपनी नीति के निर्धारण यथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जो प्रबंध मंडल, कार्यकारिणी समिति या ऐसी कोई अन्य समिति स्थापित करें तो ऐसी प्रत्येक समिति या मंडल के सदस्य के रूप में प्रदानकर्ता द्वारा नामांकित एक व्यक्ति प्राप्तकर्ता द्वारा आदेश स्वीकार किया जावेगा.

2. प्राप्तिकर्ता इस अनुदान के अंतर्गत दी गई धनराशि के कम से कम .... प्रतिशत के बराबर निधि स्वेच्छागत अंशदान द्वारा अथवा अन्य प्रकार से एकत्र करेगा.

3. प्राप्तकर्ता अनुदान की धनराशि का पूर्व उल्लेखित प्राप्ति की पूर्ति हेतु ही उपयोग करेगा और उसका या उसके किसी भी अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं करेगा. प्राप्तिकर्ता किसी भी योजना में प्रदानकर्ता को पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा.

4. प्राप्तिकर्ता अनुदान की धनराशि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दलीय व राजनैतिक आशयों या शासन के विरुद्ध प्रचार के लिए उपयोग नहीं करेगा.

5. प्राप्तिकर्ता वर्ष में एक बार तथा किसी भी दशा में आर्थिक वर्ष की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रदानकर्ता द्वारा मान्य किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अपने हिसाब का परीक्षण कराने के लिए बाध्य होगा.

6. किसी आर्थिक वर्ष के आरम्भ होने पर यथाशीघ्र तथा किसी भी दशा में उस वर्ष की पहली तिमाही की समाप्ति के पूर्व प्राप्तिकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रदानकर्ता द्वारा मान्य किसी चार्टर्ड एकाउन्टेट का इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रदानकर्त्ता को प्रस्तुत करें कि उसके पूर्वगामी आर्थिक वर्ष का हिसाब सही है. अतिरिक्त यदि प्रदानकर्ता द्वारा ऐसी मांग की जाय तो प्राप्तिकर्ता इसके पूर्वगामी आर्थिक वर्ष का एक सर्वांगीण पूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षण के मूल प्रतिवेदन तथा जांच हुए हिसाबों का मूल वृतांत भी प्रस्तुत करेगा.

7. प्राप्तिकर्ता जो योजनाएं बनाना चाहता हो, उन सबके विस्तृत विवरण, उन पर पहले किए गए व्यय, विभिन्न योजनाओं के स्थान साज सामान सूचियां, नियुक्ति किए गए या नि:शुल्क किए जाने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे तथा अपूर्ण कार्यों की सूचियां स्पष्ट दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगा. यह विवरण अनुदान की प्राप्ति अथवा यदि अनुदान का केवल अंश ही प्राप्त हुआ हो तो ऐसे अंश की प्रथम प्राप्ति से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा.

8. प्राप्तिकर्ता आर्थिक वर्ष की प्रत्येक तिमाही का एक विस्तृत प्रगति विवरण ऐसे रूप में जो प्रदानकर्ता द्वारा नियत किया जावे, ऐसा तिमाही की समाप्ति के 10 दिन के भीतर प्रदानकर्त्ता को प्रस्तुत करेगा. ऐसे विवरण पत्रों में चालू वर्ष में प्राप्त अनुदानों के प्रगामी/योग प्रोग्रेसिव्ह टोटल तथा योजनाओं पर किए गए व्यय सहित पिछली बाकी, तिमाही में पूर्ण किए गए भौतिक लक्ष्य आदि प्रदर्शित किए जायेंगे.

9. प्रदानकर्ता व उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति किसी भी समय ऐसे कार्यालय तथा संस्थाओं को देख सकेगा जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा संचालित हो और वह अपनी इस दृष्टि के लिए कि अनुदान का उचित उपयोग किया जा रहा है तथा लेखा आदि ठीक स्थिति में है लेख तथा कार्यालय के लेख संग्रह का निरीक्षण भी कर सकेगा और प्राप्तिकर्ता प्रदानकर्ता या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को ऐसी देखरेख तथा निरीक्षण के लिए समस्त उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निर्देशों तथा अनुदेशों का पालन करेगा जो कि प्रदायकर्ता या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा समय-समय पर दिए जायेंगे.

10. प्राप्तिकर्ता अनुदान की रकम के सुरक्षित संरक्षण तथा उचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा और प्रत्येक योजना के लिए प्रत्येक रूप से उचित हिसाब रखेगा, विशेषत: प्राप्तिकर्ता एक दैनिक बही रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हिसाब-किताब तथा नगदी अवशेषों का किसी उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा यथावत् सत्यापन किया जाता है.

11. प्राप्तिकर्ता पर हर पूर्ति का पूर्ण दायित्व होगा कि करारनामें के अंतर्गत प्रदान की गई, धनराशि का व्यपहरण या दुरुपयोग न हो और प्राप्तिकर्ता का इसके अधीन दी गई रकम के दुरुपयोग से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व होगा.

12. अनुदान की धनराशि दो आंशिकाओं या ऐसी स्थिति में प्रदानकर्ता द्वारा उचित समझी जावे दी जावेगी, यदि पिछली बाकी रकम मान्य की गई चालू योजना पर प्रथम आंशिक में किए जाने वाले क्योंकि पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो तो प्रथम आंशिका के लिए अग्रिम रूप में दी जा सकेगा. द्वितीय आंशिका पिछले आर्थिक वर्ष के लेखा परीक्षण विवरण तथा विवरण तथा वार्षिक विवरण तथा पूर्वाति अवधि का हिसाब के वृतांत की प्राप्ति पर ही देय होगी.

13. कोई भी रकम जो आर्थिक वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपयोग में न लाई जावे, प्राप्तिकर्ता द्वारा 10 मार्च सन् 20..... (स्वीकृति वर्ष) के पूर्व प्रदानकर्ता को समर्पित कर दी जावेगी.

14. प्राप्तिकर्ता बिना प्रदानकर्ता की लिखित पूर्वानुमति के ऐसी कोई योजना का जिसमें साज समान या भवन उसका कोई भाग सम्मिलित होगा, जो पूर्णत: अथवा इसके अंतर्गत दी जाने वाली सहायता से खरीदा या अन्यथा प्राप्त किया गया हो, विक्रय बंधक पट्टा अन्य किसी प्रकार से अंतरण अथवा स्वत्वार्पण नहीं करेगा.

15. प्राप्तिकर्ता का अस्तित्व का कार्य समाप्ति हो जाने की दशा में चरण में उल्लेखित मुख्य कर स्वामित्व प्रदानकर्ता में वांछित हो जायेगा.

16. यदि प्राप्तिकर्ता अनुदान रकम अथवा उससे क्रय या प्राप्त की गई किसी संपत्ति या सामग्री आदि का उपयोग जिस आशय के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है. उससे किसी हेतु के लिए उपयोग करे तो इस संबंध में प्रदानकर्ता के तत्संबंधी अन्य अधिकार अक्षुण्ण रहते हुए ऐसी संपत्ति तथा सामग्री आदि प्रदानकर्ता में वेष्ठित होकर प्रदानकर्ता की संपत्ति कही जावेगी.

17. यदि प्राप्तिकर्ता इसमें पूर्व उल्लेखित किन्हीं भी प्रतिबंधों का पालन करने में त्रुटि करें तो प्रदानकर्ता अनुदान की अवष्टि रकम को रोक सकेगा. और प्राप्तिकर्ता अनुदान की पहिले प्राप्त की गई आंशिकाओं की वापिसी के लिए उत्तरदायी होगी.

18. इस करारनामें के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता के प्राप्त कोई भी रकम भू-आगम के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी.

19. प्राप्तिकर्ता को विदित है कि यद्यपि अनुदान जारी रखने और पूरा करने का प्रदानकर्ता द्वारा पूरा प्रयत्न किया जाएगा, यद्यपि प्रदानकर्ता पर प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त अथवा अंगीकृत वित्त संबंधी अथवा अन्य प्रकार में अथवा दायित्व को पूर्ण करने की जिम्मेदारी नहीं है. विशेषत: प्रदानकर्ता बिना सूचना के अनुदान बंद करने अथवा उसमें कमी करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.

20. इसके पक्षकारों के बीच इस करारनामें के संबंध में या इसमें सन्निहित किसी उपबंध किसी बात के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में वह छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव की मध्यस्थता के हेतु प्रेषित किया जावेगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम तथा पक्षकारों पर बंधनकारी होगा.

21. इस करारनामें के संबंध में देय मुद्रा पत्र का भुगतान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा किया जावेगा. इसके प्रमाण में इस लेख के पक्षकारों ने उनके हस्ताक्षरों ने उनके हस्ताक्षरों के संन्मुख लिखे हुए दिन तथा वर्ष में क्रमश: इस लेख पर हस्ताक्षर किये.

संस्था की ओर से | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर
पदमुद्रा | पदमुद्रा

साक्षीगण :-

1 .... हस्ताक्षर ....
2 .... हस्ताक्षर ....

स्थान :...........................
दिनांक ....

परिशिष्ट - स

शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री शालाओं के लिये स्टाफ का पेटर्न

1. विभाग की संस्थाओं में प्रचलित स्टाफ पैटर्न अनुसार.

2. अन्य प्रवृत्तियां-संबंधित विभाग में प्रचलित स्टाफ पैटर्न अनुसार.

प्रपत्र-(द)

(भवन अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

(इसे मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

[नियम-5 (ब) (2)]

1. संस्था का नाम ....
2. प्रस्तावित संचालित प्रवृत्ति का नाम ....
3. कार्य का नाम ....
4. कहां प्रस्तावित है-
   (अ) ग्राम/स्थान ....
   (ब) निवास स्थान ....
   (स) तहसील ....
   (द) जिला ....
5. प्रस्तावित भवन निर्माण के भूमि का विवरण ....
   (अ) भूमि का स्वामित्व का प्रकार निजी/साझे का/स्कूल समिति का/ट्रस्ट का/अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
6. संस्था द्वारा भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि ....
7. स्वीकृत प्राक्कलन, ड्राइंग, साइट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित कर संलग्न करें. ....
8. संस्था द्वारा वहन की जाने वाली राशि ....
9. इस उद्देश्य हेतु किसी अन्य स्रोत से राशि मिली हो तो विवरण : ....

प्रमाणित किया जाता है कि भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन किया गया है. प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है. प्राप्त राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के लिये किया जावेगा.

संस्था के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	चार्टेड एकाउन्टेंट का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	कलेक्टर का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/979.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मिरौनी	1.11	अनुविभागीय अधिकारी, मांडनहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	मिरौनी माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/986.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	विनौधा	4.54	अनुविभागीय अधिकारी, मांडनहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	विनौधा माइनर, नुरसा माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/987.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बोरसी	1.03	अनुविभागीय अधिकारी, मांडनहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	बोरसी माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/998.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़	1.63	अनुविभागीय अधिकारी, मांडनहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	नवागांव माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल	3.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायगढ़.	बगरैल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस	5.02	अनुविभागीय अधिकारी, मांडनहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	सपोस माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेडा	1.25	अनुविभागीय अधिकारी, मांडनहर अनुविभाग क्र.-1, खरसिया.	रेडा माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नुक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	छबारीपाली	1.362	अनु. अधिकारी, संसाधन उप संभाग नंदेली.	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्रामं	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	लटियाडीह	0.20.	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सक्ती.	चुरतेली, लटेसरा, कुसमुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरमुड़ा	0.194	कार्यपालन यंत्री, संसाधन उप संभाग, रायगढ़.	माण्ड मुख्य वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/61.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस	1.26	अनुविभागीय अधिकारी, माण्ड शीर्ष कार्य उप संभाग, खरसिया.	बगरैल माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक /क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र.-13 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सेरीखेडी प. ह. नं. 112	270/1	0.896	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	एक्सप्रेस वे के लिए
			270/4	0.058		
			270/13	0.015		
			270/14	0.058		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			270/15	0.058		
			270/16	0.057		
			270/17	0.054		
			270/21	0.454		
			271/2	0.130		
			540/4	0.040		
			541/1	0.100		
			541/38, 39	0.480		
		योग	12	**2.400**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2007

क्रमांक/978/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मेढ़ा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
497	0.243
501	0.040
योग 2	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मेढ़ा से टोलागांव मार्ग के कि. मी. 2/4 पर मेढ़ा नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक 189/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-घोठा, प. ह. नं. (23/16) 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.79 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
80/6	1.00
80/7	6.53
80/8	0.56
83/4	4.20
79/5	3.20
80/4	0.30
योग 6	15.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोठा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 फरवरी 2007

क्रमांक 49/प्र. 1.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-काचरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
386/1	0.07
394/1	0.02
394/3	0.06
395/2	0.02
396/1	0.02
397/4	0.02
398/1	0.03
399/1	0.02
401/1	0.04
405/2	0.02
408/1	0.03
757	0.01
760	0.09
761	0.01
762	0.04
765	0.06
766	0.07
771	0.02
772/1	0.03
773	0.03
775	0.03
776	0.06
900	0.09
901	0.01
906	0.10
907	0.03
908	0.10
909	0.18
385	0.03
योग 29	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तेन्दूभाठा, काचरी, हरडूवा मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 फरवरी 2007

क्रमांक 50/प्र. 1.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
719	0.03
720/1	0.05
721	0.01
722	0.04
725	0.08
727	0.12
745	0.01
746	0.05
747	0.05
748	0.01
759	0.02
766	0.09
1066	0.05
1067/1	0.02
1067/2	0.02
1068/1	0.04
1068/2	0.04
1069/1	0.05
1069/2	0.05
1070	0.09
1141	0.07
1143	0.01
1144	0.05
1062	0.16
1063/1	0.06
1063/2	0.04
1064	0.06
योग 27	1.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तेन्दूभाठा, काचरी, हरडूवा मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निराक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अगस्त 2006

क्रमांक 658/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-छुछुभांठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.258 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
364/1	0.258
योग	0.258

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किरारी कोटमी मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-1077/क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बोरसी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 एकड़/हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231/1	0.25
231/2	0.25
296	0.01
295/2	0.03
293	0.05
292/5	0.04
292/3	0.05
290	0.08
289	0.09
288/1	0.09
288/2	0.09
योग 11	1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरसी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-1079/क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-विनौधा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.54 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
77/9	0.03
77/10, 77/11	0.08
77/7	0.17
77/3	0.21
77/1	0.01
58/5	0.39
59/1	0.11
59/2	0.13
60	0.26
65/1	0.18
246	0.27
220/5	0.06
220/4	0.07
221/2	0.40
251/1	0.17
251/3	0.20
250/5	0.15
244/1	0.16
244/4	0.12
244/2	0.21
244/3	[illegible]
245	0.01
247	0.40
237	0.16
238/1	0.31

(1)	(2)
250/1	0.07
250/2	0.07
योग 27	4.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- विनौधा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 दिसम्बर 2006

क्रमांक-1081/क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-बिलाईगढ़, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.63 एकड़/हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)	(2)
501/1	0.07
731/1	0.06
474/2	0.34
460/2	0.08
460/3	0.08
460/1	0.13
460/4	0.15
447/3	0.12
447/1	0.26
447/2	0.34
योग 10	1.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवागांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 दिसम्बर 2006

क्रमांक/1083/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-बगरैल, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
680/2	0.17
679	0.01
681	0.06
633/1	0.04
634	0.06
737	0.14
725/5	0.16
725/4	0.08
751	0.12
752/1 क	0.11
752/2	0.10
753	0.11

(1)	(2)
654	0.15
610	0.17
609/1	0.14
608	0.20
609/2	0.10
586	0.28
585	0.07
535	0.14
540	0.14
537/1	0.07
536/1	0.12
519/2, 522/3	0.01
519/1, 522/2, 521/3	0.08
518/2	0.12
518/1	0.06
495/3	0.03
495/1	0.08
496	0.08
497	0.12
501	0.10
योग 32	3.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के बगरैल माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 दिसम्बर 2006

क्रमांक/1085/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-रेड़ा, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1051	0.13
1311	0.17
1305/2	0.13
1325	0.06
1326	0.04
1327	0.04
1328	0.04
1329	0.03
1330	0.04
1338	0.19
1337	0.04
1305/1	0.34
योग 12	1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के रेड़ा माइनर क्र.-1.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 दिसम्बर 2006

क्रमांक-1087/क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-मिरौनी, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 एकड़/हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में) (2)
401/1, 403, 404	0.13

(1)	(2)
557/1, 557/2	0.06
558/1, 559/1, 559/2	0.15
560	0.15
568	0.10
578	0.06
580	0.06
583	0.06
584	0.03
585	0.03
586	0.04
596/1, 596/2	0.24
योग 12	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मिरौनी माइनर क्रमांक 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 दिसम्बर 2006

क्रमांक-1089/क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सपोस, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.02 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
485	0.05
484	0.07
1648, 1649	0.18
1706/1	0.09
1707	0.10
1708	0.06
1709/1	0.06
1710/1	0.06
1713	0.09
1714	0.21
1699	0.05
1697	0.06
1698	0.02
1696/2, 1689	0.11
1688/2	0.03
1686/1	0.05
1687/2	0.09
1834/3	0.11
1827	0.08
1826/1-2	0.17
1824	0.16
1823	0.09
1896	0.08
1895	0.14
1898/4	0.09
1899	0.10
1900	0.14
1901/2	0.14
1881/1-2	0.10
1880/2	0.11
1904/4	0.04
1908/1	0.12
1908/2	0.11
1907/1-2	0.09
1919/2	0.05
1919/3	0.11
1922	0.01
1919/1	0.09
1918	0.10
1917/1-2	0.08
1923/1	0.08
2045	0.08
2042/1 ग	0.10
2042/1 ख	0.06
2042/1 च	0.08
2042/1 क	0.10
2042/2	0.07
2033	0.05
2034	0.10
2027	0.22

(1)	(2)
2026/1	0.12
2025/2	0.11
2025/1	0.07
योग 55	5.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के सपोस माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जनवरी 2007

क्रमांक 01/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-अकलतरा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.006 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1824	0.002
1824	0.004
योग 2	0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाम्बे हावड़ा मार्ग के अंतर्गत रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007.

क्रमांक/33/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोर्रामपारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
836/1	0.06
845/1	0.17
836/2	0.07
845/2	0.18
856	0.05
846	0.23
854/1	0.34
857	0.07
799.	1.93
योग 9	3.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-मुजालगोंदी तालाब डूब क्षेत्र निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/36/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अभनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
278	0.18
277	0.20
282, 285	0.09, 0.23
284	0.28
315	0.12
312	0.06
313	0.17
296	0.02
295	0.02
291/1	0.20
291/1	0.01
294	0.05
293	0.41
230	0.03
286	0.01
योग	2.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/39/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसमुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
143/3	0.02
93/5	0.01
143/2	0.02
93/6	0.21
143/4	0.02
143/1	0.12
142	0.03
141	0.23
88	0.02
90	0.17
91	0.68
109	0.24
92	0.11
94	0.02
87	0.05
85	0.08
86	0.14
84	0.44
80/1	0.01
योग 19	2.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/42/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवडोंगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
524	0.06
514/8	0.18
514/9	0.20
514/10	0.02
514/7	0.35
533	0.32
532	0.03
502	0.11
534	0.03
535	0.04
536	0.10
501	0.03
543	0.07
542	0.11
499	0.07
546	0.02
335	0.34
339	0.02
334	0.04
349	0.08
340	0.02
312	0.10
347	0.01
341	0.07
344	0.14
345	0.05
348	0.03
350	0.14
351	0.01
495	0.14
493	0.07
494	0.04
394	0.09
396	0.03
393	0.09
395	0.07
396	0.06
403	0.02
422	0.04
402	0.09
431	0.18
401	0.08
421	0.01
423	0.01
430	0.08
432	0.03
434	0.20
444/3	0.12
444/2	0.09
444/1	0.18
445	0.06
योग 51	4.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/45/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवंश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-नरहरपुर

(ग) नगर/ग्राम-कापसपोटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.28
66, 170	0.14, 0.12
169/1, 169/4	0.14, 0.19
169/2	0.36
169/3	0.14
171/1	0.90
173/1	0.25
174	0.55
175, 258, 259	0.25, 0.19, 0.50
176, 198	0.19, 0.40
178	0.52
179	0.22
180	0.08
182	0.16
185	0.07
184	0.31
195	0.28
194	0.16
197	0.07
193	0.54
241	0.11
264/2	0.25
269	0.40
268	0.03
271	0.09
273	0.14
योग	8.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/48/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-नरहरपुर

(ग) नगर/ग्राम-पेंड्रावन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
260, 338, 297/3	0.16, 0.18, 0.01
259, 307, 320	0.08, 0.21, 0.01
250	0.14
250	0.04
250	0.15
244	0.05
249, 246	0.01, 0.22
248, 245	0.04, 0.01
247	0.07
287, 293	0.04, 0.02
288	0.04
289	0.01
290	0.01
291, 306	0.01, 0.07
298, 292, 222/3	0.03, 0.01, 0.04
221, 337	0.06, 0.19
303, 304	0.09, 0.25
300, 301, 302	0.05, 0.06, 0.20
258, 339, 335	0.05, 0.16, 0.04
331/1	0.02
332/2	0.09
329	0.08
336	0.12

(1)	(2)
324	0.08
योग	3.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/51/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धनेसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1133	0.02
1132	0.04
1134	0.01
1129, 1125	0.03, 0.01
1130	0.06
1128	0.41
1039, 1107, 1095, 1101, 1137	0.25, 0.11, 0.01, 0.03, 0.03
1098, 1127	0.01, 0.12
1106	0.14
1038	0.01
1126	0.03
1033, 1030, 1116	0.38, 0.42, 0.20
1032	0.16
1029	0.01
204	0.07
1013	0.21
1009	0.02
205	0.51
योग	3.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/54/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अभनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
615	0.40
564	0.09
614	0.01
603	0.39
597	0.48
541	0.90
604	0.49
549	0.38

(1)	(2)
540	0.20
519/8	0.02
519/5	0.02
519/6	0.04
519/4	0.02
562	0.09
548	0.06
550/1	0.03
560	0.38
योग	4.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक/14/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-कोकानपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.53
80	0.15
17, 62, 65	0.30
80/1, 80/7	0.05
89/2, 89/6	0.03
89/3, 89/5	0.03
89/4	0.05
90	0.03
55	0.07
50, 197	0.01
190	0.07
186, 188	0.12
185	0.07
189/1	0.04
189/1, 198	0.07
199/1	0.09
182, 634	0.03
249/1, 269/1	0.16
250, 272	0.19
270, 635	0.01
251	0.05
273/1	0.01
273/2	0.04
15/1	0.10
योग	2.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- चारामा कोरर मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st February 2007

No. 56/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office ; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Govind Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge.	Korba	Katghora	Korba	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 1st February 2007

No. 59/Confdl./2007/II-2-90/2001 (Pt. II).—Shri N. D. Tigala, Member of Higher Judicial Service, who has been appointed as Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur vide Registry Order No. 36/Confdl./2007/II-2-90/2001 (Pt. II) dated 19-01-2007, is temporarily appointed as officer-on-Special Duty, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur until Shri R. C. S. Samant, Additional Registrar (Judicial) hands over charge of the said post. Shri N. D. Tigala is further directed to take over charge as Additional Registrar (Judicial) on handing over charge of the said post by Shri R. C. S. Samant.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.